UPMZ010070022026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2778/2026

1. अदालत खां पुत्र अफसर खां निवासी ग्राम चन्दसीना, थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0 अ 0 सं0– 131/2026
धारा– 338, 336(3), 340(2), 318(4),
352, 351(2) बी.एन.एस.
थाना–खतौली, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–18.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त अदालत खां की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0 अ 0 सं0–131/2026, धारा– 338, 336(3), 340(2), 318(4), 352, 351(2) बी.एन.एस.., थाना–खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 29.03.2022 को अदालत खां से हुई थी। प्रार्थिया के रिश्ते के समय प्रार्थिया के परिवार वालो को बताया था कि अदालत खां एक एमबीबीएस, एमएस डाक्टर है और शेख उल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में बतौर सर्जन डाक्टर नियुक्त है, तथा इन लोगो ने अदालत खां द्वारा आप्रेशन थियेटर के कई फोटो व एमबीबीएस की डिग्री व अन्य सभी दस्तावेज भी प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवार वालो को दिखाये। बाद में जानकारी हुई कि अदालत खां डाक्टर नहीं बल्कि एक वार्ड वाय के पद पर कार्यरत है। प्रार्थिया के पिता व भाी ने दिनांक 24.12.2025 को अदालत खां, शामिल खां, अफसर खां, व समर जहां से बातचीत की और कहा कि आप लोगो ने अदालत खां को एमबीबीएस एमएस सर्जन बताकर निकाह कराया है तो इन लोगो ने प्रार्थिया के पिता व भाई के साथ गाली–गलौच कर धमकी दी कि यदि तुमने इस बारे में किसी को बताया या कानूनी कार्यवाही की तो हम तुम्हे जान से मार देंगे।

Digitally signed by REKHA SINGH
Date: 2026.06.18 15:39:56 IST
Reason: Bail Order
Location: I/c-A.D.J. Court No. 06, Muzaffarnagar

3. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त की शादी वादिया के साथ दिनांक 29.03.2022 को सामान्य तौर पर हुई थी। शादी के बाद से प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नि शहजादी प्रार्थी/अभियुक्त के साथ सहारनपुर में रही। प्रार्थी/अभियुक्त के घरवालो ने 30.03.2022 को एक दावत का प्रोग्राम गांव चन्दसीना में रखा तथा उसमें भी प्रार्थी/अभियुक्त को कहीं डाक्टर चिट्ठी में होना नहीं लिखा है। प्रार्थी/अभियुक्त ने मुजफ्फरनगर नर्सिंग इंस्टीट्यूट से अप्रैल 2013 से अप्रैल 2017 तक का कोर्स किया है। प्रार्थी/अभियुक्त आज भी अपनी पत्नी वादिया को ले जाने को तैयार है लेकिन वादिया ने प्रार्थी/अभियुक्त के साथ न आने की वजह से ही उक्त मुकदमा झूठा दायर किया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करे।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से जेल में है। परिवादिया और उसका निकाह को लगभग 4 साल हो चुके हैं। परिवादिया द्वारा जो डिग्री फर्जी बताकर दाखिल की गयी है, वह उसने कभी भी परिवादिया या उसके परिवारिजन को नहीं दिखाई है। परिवादिया द्वारा फर्जी बनावाई गयी है। विवाह के लगभग साढ़े तीन साल बाद परिवादिया द्वारा शिकायत दर्ज की गयी है, और दिनांक 01.05.2026 को उक्त कथित डिग्री परिवादिया दरोगा जी को दी गयी है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

6. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि यह मुकदमा कमिश्नर के आदेश से लिखा गया है और एफ0आई0आर0 कराने के छः माह पूर्व वादिया की जानकारी में यह तथ्य आया कि अभियुक्त फर्जी डिग्री के द्वारा अपने आप को डाक्टर बता रहा है, जबकि वह सहारनपुर के एक अस्पताल में वार्ड वाय है और अभियुक्त द्वारा उसे धोखे में रखकर यह बताया जा रहा है कि वह लखनऊ ट्रेनिंग में है और निकाह के एक वर्ष बाद वह उसे छोड़कर चला गया, तब से वह वापस नहीं आया। फोन पर सम्पर्क करने पर लगातार स्वयं को ट्रेनिंग पर होना बताता रहा। जब परिवादिया को शक हुआ तो उसने अस्पताल में जाकर जानकारी की, तब उसे पता चला कि अभियुक्त अस्पताल में वार्ड वाय के पद पर है।अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7. जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा उस डिग्री की जांच दौरान विवेचना कराई गयी है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उस डिग्री को अपनी न मानते हुए चुनौती दी गई है, जो फोटो सी0 डी0 का एक भाग है और सी0 डी0 के साथ संलग्न है, उनके सम्बन्ध में अभी तक किसी भी विशेषज्ञ का कोई साक्ष्य नहीं है। डिग्री की प्रारम्भिक जांच हुई है, परन्तु उसके सम्बन्ध में जो साक्ष्य पत्रावली पर है वह विचारण का प्रश्न है। चूंकि डिग्री का फर्जी होना या अभियुक्त द्वारा फर्जी डिग्री दिखाकर पीड़िता को धोखा देने का कथन साक्ष्य का विषय है और जमानत के स्तर पर साक्ष्य का कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियुक्त लगभग डेढ़ माह से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः गुण–दोष पर बिना कोई टिप्पणी देते हुए तथा साक्ष्य पर कोई निष्कर्ष दिये बिना, प्रथम दृष्टया अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अदालत खां की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के एक विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह दौरान विचारण मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा। अभियुक्त के द्वारा अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर तथा जमानतनामें के द्वारा बंध पत्र पर अपना आधार नम्बर तथा चालू मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा। न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

प्रभारी/ अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।